ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 176-179
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

जनसंख्या और विकास

कौशलेन्द्र कुमार सिंह
एम0ए0, पी–एच0 डी0 (भूगोल), मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 17.08.2020, Revised- 20.08.2020, Accepted - 23.08.2020 E-mail: - Dr.ramanyadav@gmail.com

सारांश : ***बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के संसाधनों का शोषण कर देश के विकास में अवरोध पैदा कर रही है तथा हमारे देश के जनसंख्याविदों ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आशंका व्यक्त की है कि भारत की जनगणना 2001 में बताई गई जनसंख्या 1,02,70,15,247 से बढ़कर 2021 तक 124.5 करोड़ हो जाएगी तथा आगे 1.44 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर से 2051 तक देश की जनसंख्या 164.6 करोड़ हो जाएगी। अतः देश के सन्तुलित विकास हेतु इस बढ़ती हुई वृद्धि दर में अधिकतम कमी लाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नांकित उपाय करने से जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो सकता है***

कुंजीभूत शब्द– जनसंख्या, संसाधनों, विकास, अवरोध, जनसंख्याविदों, वर्तमान, आशंका, जनगणना, जनसंख्या।

1. माहौल निर्माण–जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसे माहौल को आवश्यकता है जिसमें छोटे परिवार की अवधारणा को सुदूर के ग्रामों और शहरों की पिछड़ी बस्तियों में भी सामाजिक मान्यता प्राप्त हो सके। इसके लिए रचनात्मक माहौल बनाने में निम्नांकित कदम प्रभावी हो सकते हैं।

क– महिला साक्षरता देश में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में साक्षरता कम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जहाँ पुरुषों की साक्षरता 75.96 प्रतिशत थी, वहाँ स्त्रियों की साक्षरता 54.28 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह है कि देश में 2001 में 45.72 प्रतिशत स्त्रियाँ निरक्षर थी अर्थात् देश में लगभग 22.67 करोड़ स्त्रियाँ निरक्षर थी। इस स्थिति में सुधर लाना आवश्यक है। इस स्थिति को सुधरने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं।

1. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु वाँछित कानून बनाया जाना चाहिए। हमारे देश की सरकार ने इसके लिए संविधन में संशोधन जैसा महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।
2. जहाँ आवश्यक हो, वहाँ पर केवल बालिकाओं के लिए ही स्कूलों की स्थापना की जानी है।
3. स्कूलों का समय स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार निर्धरित करना।
4. बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी कार्यक्रम बनाना।
5. 15 से 25 आयुवर्ग की शिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता से सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना।
6. महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिससे महिलाएँ स्वावलम्बी होकर अर्थोपार्जन कर सकें।
7. महिलाओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम में महिला स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी का उचित स्तर पर आवश्यक रूप से समावेश करना।

ख– सूचना शिक्षा एवं संचार :– आज भी सारे देश की सामान्य जनता में परिवार कल्याण कार्यक्रम को नसबन्दी कार्यक्रम के रूप में देखने की भ्रांति लगभग सभी जगह व्याप्त है। इस विकृत छवि को सुधरने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अहम भूमिका है। इससे लक्ष्यविहीन एवं अभिनव प्रजनन बाल स्वास्थ्य अवधारणाओं को सही रूप में विकसित करने हेतु बल मिलेगा। इसके लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति के आधार इस प्रकार के हो सकते हैं ।

1. छोटे परिवार के महत्त्व के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य टी.वी. के चैनलों का सही, अध्किाध्कि एवं प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
2. 'छोटा परिवार–सुखी परिवार' की इस अवधरणा को समझाने में दृश्य–श्रव्य, प्रचार–प्रसार माध्यमों एवं सिनेमा का प्रयोग अधिक प्रभावी हो सकता है। अतः इनका अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए।
3. 'सीमित परिवार' के कार्यक्रमों में समाज के शीर्ष नेतृत्व, यथा धर्मिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक नेताओं की सक्रिय सहभागिता प्राप्त की जानी चाहिए।
4. विभिन्न प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों में जनसंख्या एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों का समावेश किया जाना चाहिए।
5. दूर–दूर के तथा अगम्य और असंतोषजनक कार्य वाले क्षेत्रों के लिए परिवार कल्याण की अलग से कार्ययोजना बनाना।

इस प्रकार की रणनीति में परिवार को केन्द्रबिन्दु में रखा

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

जाना चाहिए तथा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे छोटे परिवार को अपनाने की अवधरणा को बल मिले।

ग– विवाह के समय आयु :– विवाह के समय आयु एवं प्रजनन दर तथा माता के स्वास्थ्य के स्तर में एक सर्वविदित तथ्य पारस्परिक सम्बन्ध है। देश में बाल–विवाहों का प्रचलन एक गम्भीर चुनौती है। महिलाओं की विवाह के समय औसत आयु 15 वर्ष और प्रथम प्रसव के समय औसत आयु 16–17 वर्ष है। सामाजिक व्यवस्था, असुरक्षा की भावना, रूढ़िवादी प्रथाएँ एवं अन्धविश्वास तथा अशिक्षा, बाल विवाह होने के प्रमुख कारण हैं । विवाह की न्यूनतम आयु के कानूनी प्रावधान की पालना इस पृष्ठभूमि में कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। इसके समाधन के लिए इस प्रकार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए–

1. सरकार के किसी एक विभाग के स्थान पर इससे सम्बन्धित सभी विभागों, जैसे–समाज–कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह आदि के द्वारा संगठित एवं समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।
2. स्थानीय प्रशासन की इकाइयाँ, जैसे–पंचायत, नगरपालिकाओं को विवाह की आयु सम्बन्धी कानून की अनुपालन करवाने के लिए अध्कि अधिकार सम्पन्न बनाकर उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।
3. विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करवाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
4. विवाह की आयु को सरकारी सुविधाओं तथा सेवाओं के सम्बन्ध में अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए।
5. विवाह की आयु सम्बन्धी कानून का उल्लंघन करने वालों को अधिक सकारात्मक दण्ड देने की कानूनन व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ– लैंगिक समानता और महिलाओं की स्थिति में सुधर– हमारे देश में वर्तमान समय में पुरुषों और स्त्रियों में गम्भीर रूप से असमानता व्याप्त है। इस असमानता के कुछ गम्भीर उदाहरण बालिका भ्रूण को समाप्त कर देना, स्कूलों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रा में बालिकाओं का कम संख्या में प्रवेश, अधिसंख्यक बालिकाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना, कम आयु में विवाह तथा गौना करना, कुपोषण, भेदभावपूर्ण पोषाहार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रों, मुख्य रूप से घरेलू कार्यों के अतिरिक्त माध्यमिक एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की कम भागीदारी, सन्तानोत्पत्ति का निर्णय पुरुष या अन्य परिवारजनों द्वारा तथा पारिवारिक हिंसा आदि मुख्य हैं।

इन स्थितियों के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता का अभाव, अशिक्षा, रूढ़िवादी एवं अन्धविश्वासी सामाजिक रीति–रिवाज तथा मुख्य रूप से पुरुष प्रधान समाज का होना है। सामाजिक उत्थान तथा पारिवारिक सौहार्द्र के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण नितान्त आवश्यक है। महिलाओं के स्तर में सधर तथा सशक्तिकरण की दिशा में निम्नांकित प्रयास आवश्यक है जिन पर कार्य किया जाना चाहिए–

1. समस्त बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उनकी बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थिति को रोकना चाहिए।
2. महिलाओं में अनौपचारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए तथा इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
3. विवाह की निर्धारित कानूनी आयु का कठोरता से पालन करवाया जाना चाहिए तथा प्रथम प्रसव की आयु में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
4. द्वितीयक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।
5. प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994, दहेज विरोधी अधिनियम, शारदा कानून एवं महिला अत्याचार रोक अधिनियम का कठोरता से पालन किया जाए एवं ऐसे मामलों में त्वरित न्याय के निष्पादन की व्यवस्था की जाए।
6. लैंगिक समानता एवं महिलाओं की स्थिति में सुधर की दृष्टि से सरकारी विभागों, सामाजिक संस्थाओं, स्वैच्छिक सेवा कार्यकर्ताओं एवं समुदाय प्रमुखों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाएँ।
7. लैंगिक समानता एवं महिलाओं की स्थिति में सुधर के लिए विभिन्न कार्य निष्पादन करने वाली संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया जाए तथा उन्हें एक–दूसरे का अनुपूरक बनाया जाए।

ड.– छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहन :– देश में नसबन्दी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिए जा रहे विभिन्न वर्गों, यथा–चिकित्सकों, प्रेरक–महिला पुरुष को प्रोत्साहन देने की पुरानी परम्परा है। अनुभव यह बताता है कि ऐसे प्रोत्साहन में ध्न राशि का दुरुपयोग अधिक हुआ है अतः नीतिगत निर्णय के द्वारा इसे बन्द कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही धनराशि अथवा सामग्री को दिए जाने पर रोक लगाने के बाद भी नसबन्दी के मामलों में कमी नहीं आई है। प्रोत्साहन के लिए प्रतीकात्मक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही शिथिलता बरतने वाले या अवहेलना करने वालों को कठोरता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

हतोत्साहन का श्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान में है। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दो से अधिक बच्चे होने पर उन्हें अयोग्य ठहराने का प्रावधन है। इस प्रावधान को व्यापक जनसमर्थन मिला है। इस तरह के प्रावधान परिवार को छोटा करने के लिए प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। छोटे परिवार की अवधरणा को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की कार्यनीति बनाई जा सकती है–

1. सभी सम्प्रदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, उन सम्प्रदायों के धार्मिक नेताओं के द्वारा छोटे परिवार के महत्त्व को अपने समुदाय में फैलाने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

2. चिकित्सा के क्षेत्रा में बढ़ती हुई निजी संस्थाओं को देखते हुए सरकार और निजी संस्थाओं में ऐसा समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए कि जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा वाली संस्था से अपने परिवार को सीमित करने के लिए आवश्यक सुविधएँ प्राप्त कर सके।

3. नई जनसंख्या नीति के अनुरूप विकास की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जनसंख्या प्रबन्ध को बेहतर बनाने में दिए जाने वाले योगदान का समय–समय पर सर्वेक्षण एवं अकादमिक अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे जनसंख्या नियंत्राण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ बन सकता है।

2– कार्यक्रम प्रबन्ध :– जनसंख्या नीति में सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ, स्थायी एवं अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों, गर्भ निरोधकों के विपणन हेतु सामाजिक विपणन प्रणाली एवं शोध की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इस पर प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। जनसंख्या नीति में यह निर्धारित किया गया है कि गर्भनिरोधक दर को 38 प्रतिशत से सन् 2016 तक 30 प्रतिशत की बढ़त कर 68 प्रतिशत तक पहुँचाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से इस प्रकार की कार्यवाही कारगर सिद्ध हो सकती है–

1. गर्भावस्था की पहचान शीघ्र करने के लिए परीक्षण की साधन–सामग्री–'टैस्टिंग किट्स' की व्यवस्था दूर–दराज के केन्द्रों तक करना नितान्त आवश्यक है।

2. भारत सरकार के द्वारा मासिक स्राव नियन्त्राण विधियों (एम.आर.विधि) के उपयोग के बारे में शीघ्र दिशा निर्देश प्रसारित होने आवश्यक हैं।

3. गर्भ समापन सेवाओं (एम.टी.पी.) के प्रसार के लिए इस विधि को सिखाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे चिकित्सक जिन्हें एम.टी.पी का प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नियुक्ति ऐसे स्थानों पर की जानी चाहिए जहाँ उनकी दक्षता का लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके।

4. महिला भ्रूण हत्या और 'एमनिया सेंटेसिस' के गलत उपयोग पर प्रभावी नियन्त्राण किया जाना चाहिए। इससे सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को बल मिलेगा।

5. सभी चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थाओं के द्वारा दी जाने वाली गर्भ निरोधक सेवाओं और साधनों की गुणवत्ता में सुधर के लिए प्रशिक्षण और वितरण व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।

6. जिला स्तरीय योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति के लिए उपलब्धियों का विभिन्न स्तरों पर प्रभावी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

7. प्रजनन स्वास्थ्य की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पी.पी.आई.दिवस' 'टीकाकरण दिवस' एवं 'एड्स के पखवाड़े' का अधिकतम और प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

8. किशोर बालक–बालिकाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 'नेहरू युवा केन्द्र', 'महिला–बाल विभाग एवं शिक्षा विभाग' की विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना नितान्त आवश्यक है।

9. संचार सामग्री को स्थानीय भाषा में विकसित करने के समुचित प्रयास किए जाने चाहिए।

3– प्रशासनिक मुद्दे :– जनसंख्या नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष' एवं 'राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग' का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर भी इस तरह की संस्थाएँ गठित की जानी चाहिए। राजस्थान में 'राज्य जनसंख्या परिषद्' गठित की गई है।

प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला परिवार कल्याण समन्वय और मॉनीटरिंग समितियाँ' गठित की जानी चाहिए। जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधि, जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद, विधायक, जिला स्तर के स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शिक्षा, कृषि, आँगनबाड़ी कार्यक्रम के अधिकारी, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा महिला सामाजिक कार्यकर्ता इस समिति के सदस्य होने चाहिए। जिला कलक्टर की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

इस समिति के कार्यों में जनसंख्या नियंत्राण के लिए नई योजनाओं को बनाना, कार्यक्रम निषपादन की समीक्षा करना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधर हेतु तरीके सुझाना और कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना आदि कार्य होने चाहिए। इस समिति का कार्य इस क्षेत्रा में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण भी होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर प्रधान एवं ग्राम स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में ऐसी समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

समितियाँ कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा कर इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुझाव देवें।

परिवार कल्याण कार्यक्रम 'सामाजिक अभियांत्रिकी' का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को चिकित्सा सेवा के कार्यक्रम के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम को विशेष प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 'जिला परिवार कल्याण ब्यूरो' में विशेष रूप से चयनित अधिकारियों को कम से कम पाँच वर्ष के लिए पदस्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू हो सके।

कार्यक्रम के परिवर्तित रूप और चिह्नित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रणालियाँ, जैसे–प्रबन्धन सूचना, उपकरणों और अन्य सामग्री की अवाप्ति एवं वितरण तथा उनके रख–रखाव को सुचारु रूप दिया जाना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की सतत चेष्टा करनी चाहिए तथा कार्यकुशलता के स्तर में सुधर लाना चाहिए।

कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की उपलब्धियों में सामुदायिक भागीदारी के द्वारा सुधर के लिए राजस्थान में अनेक नई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं में जनमंगल, स्वास्थ्यकर्मी, सूक्ष्म–आयोजना तथा विकल्प मुख्य हैं। इस सम्बन्ध में इस प्रकार की रणनीति बनाना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है

1. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राज्य की जनसंख्या नीति के व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए सम्भाग एवं जिला स्तर पर समय–समय पर कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।
2. योजना आयोग से लेकर राज्य योजना, जिला योजना एवं स्थानीय योजनाओं एवं समन्वय समितियों की सभी बैठकों में जनसंख्या नीति एवं जनसंख्या नियंत्राण एक 'स्थायी विचार बिन्दु रहना चाहिए।
3. ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों का पंचायतीराज संस्थाओं से सीध सम्बन्ध रहता है। अतः जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के स्तर पर ऐसी समितियों का गठन किया जाए जो जनसंख्या प्रबन्ध एवं जनसंख्या नियंत्राण के मुद्दों पर ध्यान रखे।
4. इस बारे में स्वयंसेवी संगठनों की प्रभावी भूमिका के लिए भी एक सुनिश्चित रणनीति बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार की रणनीति बनाने से देश में जनसंख्या प्रबन्धन एवं नियंत्राण में आशातीत सपफलता प्राप्त की जा सकती है जो देश के विकास के लिए एक महती आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ackerman, Edward A (1970 : Population National Resources and Technology in Popu lation Geography : A Reader, edited by George J. Demko and others, McGraw Hill Book Company, New York.
2. Clarke, John 9 (1972) : Population Geogra phy, pergamon press, London.
3. De-Dlij, H. (1977) : Human Geography John wiley & Sons, London.
4. Robinson, W.C. (1964) : The Development of Modern population theory, American Jour nal of Economic and Sociology, Vol 23, No. 4-

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*